अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक –एफ–27 (16)ग्राविवि / आईएवाई / जिला / ग्रुप–5 / 2015–16 जयपुर, दिनांक–[illegible] अक्टूबर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.),
अजमेर, बारां, भीलवाडा, बून्दी, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़,
जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर,
पाली, सवाईमाधोपुर एवं सीकर।

विषय :– राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" हेतु आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृति जारी करने बाबत्।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2015

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा की पालना में "अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना" अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा लक्ष्यों का आवंटन कर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था :–

1. सर्वे के उपरान्त आप द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची में शामिल एकल विधवा परिवारों में से लॉटरी द्वारा जिले के लक्ष्य के बराबर चयन कर पंजीकरण किया जावे।
2. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम पंचायतों के चयन हेतु जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष जिले की एकल विधवा परिवार की सूची में से आवंटित लक्ष्यों के अनुसार लॉटरी द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए पात्र परिवारों का चयन किया जावे।
3. चयनित परिवारों का आवाससॉफ्ट पर उक्त योजना के पंजीकरण हेतु उपलब्ध विन्डो पर इंदिरा आवास की तर्ज पर पंजीकरण की कार्यवाही कर स्वीकृति जारी की जावे।
4. पंजीकरण हेतु मतदाता पहचान–पत्र क्रमांक ईपीआईसी आईडी का नम्बर के साथ इंदिरा आवास के समान ही सीबीएस बैंक खाता नंबर, लाभार्थी का मोबाईल नंबर, जॉब कार्ड नंबर, स्वच्छ भारत मिशन सर्वे क्रमांक आदि भी दर्ज किये जावे।

उक्त सम्बन्ध में आपके जिले की प्रगति आवाससॉफ्ट पर दर्ज रिपोर्ट अनुसार शून्य है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में आपके स्पष्टीकरण के साथ योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत लक्ष्यों की स्वीकृतियां जारी करने के मध्येनजर स्वीकृत लक्ष्यों से 50 प्रतिशत अधिक का लॉटरी में चयन कराकर पात्र परिवारों का पंजीकरण कराकर दिनांक 31.10.2015 तक शत–प्रतिशत स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,ग्रावि

C:\Users\user\Desktop\SURESH PA 2014-15.docx

E-OFFICE NO. 95727
DATE......15-10-15...

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Programmer
15/10/15

C:\Users\user\Desktop\SURESH PA 2014-15.docx